रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 1985/पौष 21, 1906
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 1985/PAUSA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1985

सं. 6/85-सीमा-शुल्क

मा. का. नि. 19(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 215-सीमा-शुल्क-तारीख 1 नवम्बर, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "मूल्य का 25 प्रतिशत" शब्दों और अंकों के स्थान पर 'मूल्य का 35 प्रतिशत" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 357/45/84-टी.आर.यू.]

गौतम रे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 1985

No. 6|85-CUSTOMS

G.S.R. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 215-Customs, dated the 1st November, 1980, namely :—

In the said notification, for the figures and words "25 per cent. ad valorem", the figures and words "35 per cent. ad valorem" shall be substituted.

[F. No. 357|45|84-TRU.]

GAUTAM RAY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985